

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान सुखवीर सिंह आदि बनाम रेशम सिंह आदि  
 प्रकरण संख्या 63, 2007 अन्तर्गत धारा 88, 188, 92A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालन
18/09/25	<p>वादीगण व वादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को रुक-रूक कर 3 बार आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92A RTA अदम्य पेशवी अदम्य सान्जरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणति होकर नम्बर से कम होकर राखिल रफ्तार हो</p>	



सहायक कलेक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)